

कार्यालय नगरपालिका, चिड़ावा
पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)
संस्थागत

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)
नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 2067

दिनांक : 01.09.2023

पट्टा धारक का नाम पुत्र
पत्नी पति
निवासी

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान संस्थान (राडार-फाउण्डेशन)
कार्यालय पता ब्राह्मणों की ढाणी (अड्डूका) जरिये सचिव, लीला शर्मा (पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री
लीला शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राजकुमार शर्मा निवासी ब्राह्मणों की ढाणी (अड्डूका), पोस्ट -
पिचानवा, तहसील- सुरजगढ़, जिला - झुंझुनूं भूखण्ड सं. **Part-B** क्षेत्रफल 3791.00 वर्गमीटर

राजस्व ग्रामअड्डूका (पैराफैरी - चिड़ावा).....खसरा सं.569.....

योजना - ले-आऊट प्लान ऑफ साईट INSTITUTIONAL LAND CONVERSION
में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक.....को निष्पादित
किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Janus

2.

नोट- शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

सुविधासेनी
सुविधासेनी
नगरपालिका, चिड़ावा
नगर पालिका चिड़ावा

अधिसाषी अधिकारी
अधिसाषी अधिकारी
नगरपालिका, चिड़ावा
नगरपालिका चिड़ावा

शामिल रहे
अध्यक्ष
अध्यक्ष
पंजीयक सुरजगढ़

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

नगरपालिका चिडावा

हादरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय/वाणिज्यिक परियोजना के लिए भूमि पट्टा वितरण

(नाजबान मु रासदर अधिनियम, 1954 की धारा 90 (ख) के प्राधानों के अन्तर्गत पुन आर्वाटित भूखण्डों के उपघोटा हेतु)

यह इच्छतन्त्रण जो आवा वितरण 18-5-2007 को आरम्भ/विद्युत पत्र सं. 502 अन्. 2007 का राजबान राज्य के राजपाल जिसे इतने इसके परम्परा सरकार का

कर सम्बन्धित किया गया है और वसुली और भी/भीती 14751/2007

जमीन 14751/2007 निकासी 14751/2007 जिनको इसने इसके परम्परा पट्टेदार कह कर संबन्धित किया गया है और इस इच्छतन्त्रण में जहाँ

इस बात का शाब्दी है कि इनमें 14751/2007 का इच्छतन्त्रण के अन्तर्गत जहाँ के सम्बन्धित लोगों के बीच किया गया है।

पिसे मात्र की रकम के नियमन मुक्त जो पट्टेदार द्वारा प्राप्त कर

दिया गया है (और जिसकी स्वीकृत सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित प्राप्त और करारां जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में सरकार इसके अन्य पट्टेदार

को जमीन का वह अन्ध काट जो इसके बाद चला मु खण्ड कह कर संबन्धित किया गया है नियमन और पुन आर्वाटित करती है जो 14751/2007 योजना में स्थित है और जो अन्ध

सौधों और क्षेत्रफल के साथ उसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपों वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शों में दिखलाया गया है और जितने पूर्व स्वामित्व संबंधी हस्ता

सहित किन्तु निम्नलिखित तथान प प्रत्येक अपवादों संशर्णा प्रतिबन्धों देया जाता और करारां के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकारी में रहेगा अर्थात्

1. उक्त भूखण्ड हादरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुन आर्वाटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।

2. (अ) पट्टेदार, नगर पालिका चिडावा के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्डों के संबंध में आरक्षित दर

रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल राशि 14751/2007 रूपये की 2.5 की दर से हादरी जमा बन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार

देय ब्याज राशि वसुली की जायेगी।

(ब) दस वर्ष की अवधि हादरी जमाबन्दी एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5-2-नु ति 13/99 दिनांक 15-11-99

के अनुसार हादरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 14751/2007 रूपये की 2.5 प्रति वर्ष की दर से देय होगी।

3. हादरी जमाबन्दी की निर्धारित बंधनवश में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त परचात तथा प्रत्येक दशान्तरण पर 25 प्रतिशत उच्चतर वृद्धि होगी 15 वर्ष की अवधि आरंभ पत्र जारी होने की तिथि से संगणित

की जायेगी।

4. उपरोक्त धारित तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश को जो हादरी जमाबन्दी के कारण बाधित हो अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उच्च तारीके से जो उस

समय भूखण्डों के बकाया की वसुली करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वसुली करेगी और वसुली करने के लिए सक्षम होगी।

उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय व वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए आरंभित अनुसंधान की करारां होगा। आवासीय भूखण्ड का व्यवसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी धारि नहीं किया जा

सकेगा। निर्धारित भूखण्ड के संरक्ष से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-7-99 क्रमांक प-म-9) नु ति दि/3/99 द्वारा मवन विनियमों के प्राधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योयर् निर्माण ही

नियमित किया गया है तथा नियमन आयोग नियमन के संरक्ष में संबन्धित विनियमों के अनुसंधान कार्यवाही की जायेगी।

यदि भूखण्ड 800 वर्ग मीटर तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण आरंभ पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैक साईट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा मालिक के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार

निर्माण करण होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि भूखण्ड

800 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण चक्रिका से मवन के लक्ष्य के नियमानुसार प्राप्त करवाकर करण होगा।

इस लीज डीअ के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार। नियमन बिक्रि नियम। निर्धारित बैक। सरकारी कर्षण दायी संस्था। एच डी एफ सी अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ब्रणदामो संस्थाओं

के पास मवन निर्माण के लिए कर्षण के लिए गिरवी स्थापना संकेगा।

आवृत्त मवन पत्र दिनांक 18-5-2007 के अनुसार भूखण्डों के निर्माण के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मालिकों से करण होगा।

पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उसका अंश बनावे गये भवन या कर्षणों को या उस भवन के किसी अंश के किसी ऐसे आशय के लिए जो भिन्ने भद में निर्दिष्ट आशय के अन्तगत है बिना सरकार या सरकार के

ऐसे अधिकारी को लिखित स्वीकृति के जो एवम नियमन किया गया हो न हो उपयोग में लायेगा और न कर्षण में लेने की अनुमति ही देगा।

पट्टेदार द्वारा आरंभ पत्र जारी हवा एव पट्टे की उपयोग कर्षणों को न पालन की जायेगी। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एव उस पर बने हुए भवन/दुकान यदि कोई

हो साह्य उक्त भूखण्ड बिना किसी भूखण्ड की राशि के अधिकारण कर दिया जायेगा।

5. इस भूखण्ड की नियमन राशि 14751/2007 रूपये की 2.5 प्रति वर्ष राज्य की पंजीकृत मूल्य राशि रु. 14751/2007 होती है। अतएव स्टाम्प न.

रु. 14751/2007 रु. 14751/2007 = 22127

भूखण्ड की कुसौमा क्षेत्रफल 569/10000 प्रतिभूजा 77-03 पश्चिमी भूजा 90-00 स्थल मान चित्र 1475-0-5000/2007

उत्तर 569/10000 दक्षिण 77-03 उत्तरी भूजा 100-04 दक्षिणी भूजा 158-09 संलग्न 1475-0-5000/2007

सक शब्दी रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

पट्टा वितरण आज दिनांक 18-5-2007 माह 18/5 अन्. 2007 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

बिहारी अधिकारी

नगर पालिका चिडावा

पट्टेदार/आवृत्त

श्री -

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम

वसना

प्राप्त स्थान

नाम

प/पति का नाम